राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(8)ग्रावि / नरेगा / विविध / 56074 / 2014 जयपुर, दिनांक : 17 JAN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ,
चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर।

विषयः– **अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ1(4)आप्र एवं सहा. / सामान्य / 2016 / 14608–40 दिनांक 30.11.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के संदर्भित पत्र द्वारा 13 जिलों के 5656 गांवों के अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित उक्त गांवों की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2016–17 के दौरान 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया है एवं इसका प्रावधान नरेगा सॉफ्ट में किया जा चुका है।

अतः अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए इन ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस